RESEARCH PAPER

RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal
e-ISSN: 2349-7637 | Vol.09 | Iss.01 | January 2022 | pp. 28-31
Double-Blind Peer Reviewed/Refereed Journal

MGNREGA and Women Empowerment: Some Emerging Questions
मनरेगा एवं महिला सशक्तिकरण : कुछ उभरते प्रश्न

*Rachna Sharma

Research Scholar, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur

Abstract

Empowerment means higher level of development. The word empowerment is becoming common nowadays. Each person interprets the meaning of empowerment differently in their individual context. Empowerment can be defined as an improvement in the economic, political, social, educational, sexual or spiritual power of an individual, community or organization. Empowerment is a multidimensional process as it can be seen in political, psychological, sociological, economic and other dimensions also. Just as empowerment is a multidimensional process, similarly the process of women empowerment is also a multidimensional process.

Keywords: *Empowerment, NREGA, MNREGA, patriarchal, self-respect, self-reliance*

Abstract in Hindi

सशक्तिकरण से तात्पर्य विकास का उच्च सोपान हैं। सशक्तिकरण शब्द वर्तमान में सामान्य सा होता जा रहा हैं। प्रत्येक व्यक्ति सशक्तिकरण का अर्थ अपने वैयक्तिक संदर्भ में पृथक– पृथक निकालता हैं। किसी व्यक्ति समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैं। सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है क्योंकि इसे राजनीतिशास्त्रीय, मनोविज्ञानशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, आर्थिक एवं अन्य आयामों में भी देखा जा सकता हैं। जिस प्रकार सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया भी एक बहुआयामी प्रक्रिया है।

Keywords: *सशक्तिकरण, नरेगा, मनरेगा, पितृसत्तात्मक, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता ।*

Article Publication

Published Online: 12-Jan-2022

***Author's Correspondence**

Rachna Sharma

Research Scholar, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur

rachna1234.sharma[at]gmail.com

10.53573/rhimrj.2022.v09i01.005

© 2022 The Authors. Published by RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

किसी भी देश और समाज की स्थिति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। जिस देश की महिलाएँ सुसंस्कृत हैं, सभ्य है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील हैं तो यह ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है कि उस देश में विकास का स्तर क्या है? महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं है वरन् इसका संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से महिलाओं में इतनी जागरुकता उत्पन्न की जा सके कि वह स्वावलंबी बनकर सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कर सकें।

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कम आँका है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' वाले भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुष की सहधर्मिणी नहीं मानकर अनुचरी माना जाता है। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास हेतु उस राष्ट्र की महिला वर्ग को सशक्त बनाना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में 'ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स' ने लिखा है कि "यह औरतों को शक्ति, क्षमता और काबिलियत प्रदान करता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें।[६] महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक एवं मानसिक क्षेत्रों में उसके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है।

भारतीय विकासशील देश में महिलाओं की भूमिका और स्थिति में सुधार हेतु समय–समय पर विद्वतजनों एवं सरकारी प्रयासों द्वारा उनकी भलाई एवं सम्मान हेतु सार्थक प्रयास किए गए हैं। मनरेगा उन्हीं सार्थक प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला सशक्तिकरण मनरेगा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MNREG।) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को संविधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम देश का ऐसा पहला अधिनियम है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाता है। इस योजना का शुभारंभ 02 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में किया गया। इस योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों का शारीरिक श्रमयुक्त रोजगार पाने का अधिकार है। वर्ष 2007–2008 में 330 जिलों में इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 01 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और 02 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर नरेगा से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया। यह देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है।

इस योजना में शेड्यूल सस पैरा 6 मनरेगा के अंतर्गत कहा गया हैकृकार्य के वितरण में महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी ताकि कम से कम एक प्रकार के लाभ प्राप्त करने वालों में एक तिहाई से अधिक हिस्सा महिलाओं का हो। ऐसी व्यवस्था रखने का एकमात्र उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, महिलाओं का मनोबल ऊँचा उठाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाएँ जैसे ही आत्मनिर्भर हो जाती हैं, पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है और वे स्वयं को सशक्त महसूस करती हैं, समाज में उनका सम्मान एवं उनकी नजरों में स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ जाता है। मनरेगा जैसी योजनाएँ महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनके अंदर सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा दे रही हैं।

महिलाओं की उच्च भागीदारी मनरेगा की प्रमुख प्राथमिकता है। इस योजना में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक तिहाई लाभार्थियों में महिलाएँ होनी चाहिए, इसके अलावा कार्यस्थल के पास बच्चों की देखभाल की सुविधाएँ होना भी अनिवार्य है तथा महिलाओं को अपने निवास स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर–अंदर काम करने की वरीयता प्राप्त है और महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन का प्रावधान है। जिससे महिलाओं का मनोबल ऊँचा उठे और वे आत्मनिर्भर बने। संपूर्ण राष्ट्र में इस योजना के तहत कुल श्रम दिवसों का 48 प्रतिशत काम महिलाओं ने किया जो कि शिक्षा निर्देश के 33 प्रतिशत से काफी अधिक है। महिलाओं की संपूर्ण भारत में भागीदारी दर के साक्ष्य दर्शाते हैं कि इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अन्य सभी योजनाओं की तुलना में सर्वाधिक है। मनरेगा ने महिलाओं के लिए काम का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है, जो रोजगार एवं उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनरेगा मजदूरों की निगरानी हेतु मेट की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। केरल व तमिलनाडु राज्य में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में जयपुर जिले में नरेगा जॉब कार्ड हेतु 5,22,869 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 5,04,388 को जॉब कार्ड स्वीकृत किए गए। जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में 23,294 आवेदन कर्ता में से 23,075 को जॉब कार्ड प्राप्त हुए जो कि 99.06 प्रतिशत है। जयपुर जिले में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले कुल श्रमिक 11,94,496 हैं जिनमें से 5,99,867 वर्कर महिलाएँ हैं जो कि कुल वर्कर का 50.21 प्रतिशत हैं। जयपुर जिले में कुल 3,73,226 एक्टिव वर्कर में से 2,77,047 महिलाएँ कार्यरत हैं जो कि कुल एक्टिव वर्कर का 74.23 प्रतिशत हैं। सांगानेर तहसील में कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 54,650 हैं जिसमें से 27,404 महिलाएँ हैं, जो कि कुल पंजीकृत श्रमिकों का 50 .14 प्रतिशत हैं। सांगानेर में वर्ष 2020–21 में कुल एक्टिव वर्कर 13,296 हैं, जिनमें से 11,396 महिलाएँ रही हैं, जो कि कुल एक्टिव वर्कर का 85.71 प्रतिशत हैं।

अगर हम मनरेगा महिला श्रमिकों के बैंक खातों की बात करें तो जयपुर जिले में कार्यरत महिला नरेगा श्रमिकों के कुल बैंक खातों की संख्या लगभग 3,78,800 है जिसमें 18,692 खाते संयुक्त बैंक खाता हैं, जो कि कुल खातों का 4.93 प्रतिशत हैं। अगर हम जयपुर जिले की सांगानेर तहसील की बात करें तो सांगानेर में 16,444 कुल महिला श्रमिकों के बैंक खातों में से संयुक्त खाता संख्या मात्र 316 रही हैं, जो कि 1.92 प्रतिशत हैं।

इससे प्रतीत होता है कि महिलाओं के स्वयं के बैंक खातों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे मनरेगा श्रम की राशि सीधे ही महिलाओं के खातों में हस्तांतरित हो रही है। मनरेगा योजना में जयपुर जिले में कुल 3,62,906 महिलाएँ बैंक खातों के साथ जुड़ी हुई हैं जिसमें से एक्टिव महिला श्रमिकों की संख्या 2,81,429 है। यह कुल महिला श्रमिकों का 77.54 प्रतिशत है। दूसरी तरफ सांगानेर तहसील में 16,185 महिलाओं के बैंक खातों की तुलना में 11,537 महिलाएँ एक्टिव श्रमिकों की श्रेणी में

आती हैं जो कि 71.28 प्रतिशत हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि आज की महिलाओं को रोजगार हेतु मनरेगा योजना पर आश्रित होना पड़ रहा है। बैंक खातों की संख्या से महिलाओं को नरेगा की मजदूरी सीधे ही प्राप्त हो रही है।

मनरेगा द्वारा महिलाओं को रोजगार प्राप्त होने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। महिलाओं द्वारा परिवार में आर्थिक सहयोग करने से वे परिवार में निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं। चाहे परिवार का ऋण चुकाना हो या बच्चों की शिक्षा हो अथवा स्वास्थ्य एवं भोजन संबंधी व्यवस्था हो, इन सभी में महिलाएँ पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रही हैं। इस योजना द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति के साथ–साथ राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद मिली है। इस योजना के माध्यम से महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, शिक्षा के महत्व को पहचान रही हैं और नारी शक्ति को जान रही हैं। मनरेगा के माध्यम से महिलाएँ यदि अकेली हैं तो भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो रही हैं। महिलाएँ घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्र एवं राज्य के मुद्दों में रुचि लेने लगी हैं।

मनरेगा अब तक जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हुआ है लेकिन अभी भी देश में कुछ सांस्कृतिक बाधाएँ हैं जो महिलाओं की प्रगति को रोक रही हैं। कुछ ऐसे प्रश्न है जिन्होंने मनरेगा के वास्तविक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण को लगभग भुला ही दिया है फिर चाहे वह प्रश्न मनरेगा में व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार का हो या फिर आये दिन कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी का हो या फिर मनरेगा में व्याप्त पक्षपात एवं राजनीतिकरण का हो। मनरेगा के तहत कार्य करने वाली महिलाओं का कार्यस्थल पर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाता है। चूँकि छोटे बच्चों को महिलाएँ कार्यस्थल पर ले जा सकती हैं, अधिनियम में 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु पालनाघर की बात की गई है लेकिन यह सब कागजी बातें हैं वास्तविकता में महिलाओं को ही छोटे बच्चों की समस्या का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार की घटनाएँ आए दिन सुनने में आती हैं जो कि सबसे बड़ी समस्या है। महिलाएँ जब काम माँगने जाती हैं तब उन्हें काम समय पर नहीं मिलता है।

काम करने वाली महिलाएँ चूँकि कम पढ़ी लिखी होती हैं या अनपढ़ होती हैं, अतः उन्हें वास्तविक न्यूनतम मजदूरी के बारे में जानकारी नहीं होती है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी प्रदान की जाती है, जो कि महिलाओं के साथ किया गया आर्थिक शोषण है। महिलाओं को मिलने वाली मजदूरी पर भी महिलाओं का हक नहीं होता है, पुरुषों द्वारा मजदूरी के पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। इस योजना में औपचारिकताएँ अधिक हैं जैसे–पंजीकरण हेतु आवेदन, जॉब कार्ड का निर्माण, काम करने के लिए आवेदन, रोजगार का रिकॉर्ड एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों एवं रजिस्टरों को भरना आदि। इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय एवं श्रम का अधिक मात्रा में अपव्यय होता है। इस योजना के तहत अधिसूचित कार्यों की आवश्यकता विभिन्न स्थानों में नहीं पाई जाती। इस कारण इसके कार्यों की संख्या में कमी आ जाती है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार व आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

हालांकि मनरेगा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक हुआ है। चूँकि भारत की अधिकतर आबादी गांवों में निवास करती है। अतः मनरेगा की कमियों में सुधार कर मनरेगा को सशक्त बनाना होगा ताकि इसके माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। मनरेगा को अधिक सशक्त बनाने हेतु सर्वप्रथम इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। इसमें संदर्भव्याप्त समस्याओं से निपटने हेतु समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए एवं एन.जी.ओ. द्वारा इनकी ऑडिट होनी चाहिए। आंगनबाड़ी को सुदृढ़ किया जाए एवं महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी प्रदान की जाए। छोटे बच्चों हेतु अधिनियम में जो पालनाघर की बात की गई है, उसे कागजों से निकालकर वास्तविकता के धरातल पर लाया जाए। मनरेगा में व्याप्त पक्षपात एवं राजनीतिकरण को समाप्त किया जाए एवं राज्य सरकारों द्वारा मनरेगा को मजबूत बनाया जाए। कार्यस्थल पर महिलाओं हेतु सुरक्षित माहौल बनाया जाए एवं अधिक से अधिक महिला मेट की नियुक्तियाँ की जाए। कार्यस्थल पर समय–समय पर महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए। महिलाओं को समय पर काम उपलब्ध करवाया जाए। संयुक्त खाता की जगह महिलाओं का एकल खाता हो जिससे महिलाओं का स्वयं की मजदूरी पर पूरा हक हो। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए। योजना के कुशल संचालन हेतु योजना से संबंधित औपचारिकताओं को कम कर दिया जाए, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हो। वहीं आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को स्वरोजगार की योजनाओं से जोड़कर न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मूल्य दिलाया जाए। सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण हेतु मनरेगा योजना के अतिरिक्त सरकारों द्वारा अन्य योजनाओं को धरातल पर लागू करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए जिससे न्यूनतम मजदूरी से अधिक श्रम मूल्य दिया जा सके और आर्थिक व सामाजिक उन्नति लाई जा सके। महिला सशक्तिकरण हेतु परिवार, सरकार, निजी और सरकारी संगठनों, पुरुषों और अन्य सामाजिक संस्थाओं के समर्थन की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत महिला के स्वयं के परिवार से हो एवं परिवार के

पुरुषों द्वारा महिलाओं का सम्मान एवं सहयोग किया जाए तभी हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक समानता का हो या फिर राजनीतिक सहभागिता का लक्ष्य हो। जब तक हमारे देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। एक राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब स्त्री व पुरुष दोनों की सहभागिता हो। जो आबादी का आधा हिस्सा हैं, उसकी पूर्ण सहभागिता हो। इस हेतु हमें अपने मूल्यों एवं विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। महिलाओं हेतु ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।

संदर्भ–

अंसारी, एम.ए. (2002) 'महिला और मानवाधिकार', ज्योति प्रकाशन, जयपुर

कौशिक, आशा (2004) 'नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं संवाद', पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर

देसाई, नीरा, ठक्कर, उषा (2001) 'विमन इन इंडियन सोसायटी', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया

मांडोत, मिश्रीलाल (2014) 'पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास',पोइटंर पब्लिशर्स, जयपुर

मिल, जे. एस. (1989) 'द सब्जेक्शन ऑफ विमन', कैंब्रिज, लंदन

मीणा, राजेंद्र कुमार (2019), 'मनरेगा योजना से रोजगार सृजन में योगदान का आर्थिक विश्लेषण', हिमांशु पब्लिकेशन, नई दिल्ली

मेरी, वॉल्टसन क्राफ्ट (1983) 'ए विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमन', पेंग्विन प्रकाशन, हार्मण्डसवर्थ

राठौड़, मधु (2010),'पंचायती राज एवं महिला विकास', पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर

शर्मा, कविता (2012) 'स्त्री सशक्तिकरण के आयाम', रजत प्रकाशन, नई दिल्ली

शर्मा, धर्मराज (2018) 'भारत निर्माण एवं मनरेगा', रावत पब्लिकेशन, जयपुर

शर्मा, रमा, मिश्रा, एम.पी. (2019) 'महिला सशक्तिकरण', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

सिमोन द बुवो, (1950) 'द सेकंड सेक्स' पेंग्विन प्रकाशन, हार्मण्डवर्थ

सिंह, राम सकल, (2018) 'पंचायती राज व्यवस्था', अर्पण पब्लिकेशंस, नई दिल्ली

सिंह, वी.एन., सिंह, जन्मेजय (2012) 'नारीवाद', रावत पब्लिकेशन, जयपुर